भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 284*

दिनांक 16 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

सरकारी क्षेत्रों के रूग्ण उपक्रमों के लिये कार्य-योजना

284*. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों/इकाइयों की रूग्णता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इन कदमों के परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें सुधार करने हेतु क्या कार्य-योजना परिकल्पित की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 16.03.2021 के " सरकारी क्षेत्रों के रूग्ण उपक्रमों के लिये कार्य-योजना" विषय पर लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 284* के उत्तर के संबंध में विवरण

(क) और (ख): लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसईज़ के लिए एक सामान्य नीति निर्माण विभाग होने के नाते दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को "रूग्ण/प्रारंभिक रूग्ण और कमजोर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित करना: पुनर्गठन के सामान्य सिद्धांत और तंत्र" के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (सीपीएसईज़), संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं और सीपीएसईज़ के पुनरुद्धार/पुनर्गठन से संबंधित सभी मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निपटाया जाता है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सीपीएसईज़ की सुदृढ़ता की निगरानी करते हैं और उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार रूग्ण/कमजोर/प्रारंभिक रूग्ण सीपीएसईज़ की पहचान करते हैं और सुधार के उपाय करते है। इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंड, शुरूआती रूग्णता को रोकने के लिए पहले से ही सुधारात्मक कार्यों को सुगम बनाते हैं और सीपीएसईज़ को, अच्छी वित्तीय स्थिति में वापस लाने के लिए समय पर उचित कदम उठाते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग हितधारकों के परामर्श से मामला-दर-मामला आधार पर उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर ऐसे सीपीएसईज़ के लिए पुनरुद्धार/पुनर्गठन/बंद करने की योजनाएं तैयार करने और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद योजना को लागू करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

*****